

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018

जयपुर, दिनांक : 04.01.2019

आदेश


मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10678/2017 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.08.2017 की पालना में डा. अर्जुन राम सांखला, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल, नागौर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10678/2017 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.08.2017 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/जोधपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर/जोधपुर/सिरोही
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव